हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

6.19. पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण एवं विपक्षी उपस्थित. वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। जब कि विपक्षी की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया. तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम मलगाणी पटवार हल्का माण्डल तहसील मांडल में स्थित होकर लादूराम, रामेश्वर काना, गोपाल पिता चूरा, गंगा पत्नी चूरा जाट साकिन देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिसकी तारीख प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत 2070 से 2073 से होती है। प्रार्थीगण अपनी आराजी पर आने-जाने हेतु बिलानाम आराजी नं० 1247 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा आराजी पर आते-जाते है। जिसकी तारीख प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सवंत 2070 से 2073 से होती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण अपने खातेदारी की आराजी पर आने-जाने का एक मात्र सुगम व सरल मार्ग है। मौके पर आराजी नं. 1247 के उत्तर दिशा में ग्राम मलगाणी का रास्ता मिलता हुआ है। इस रास्ते में जुड़ते हुए नक्शे में दर्शाया गया। इस प्रकार प्रार्थीगण अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात पर आने जाने बावत 16 फीट का चौड़ा रास्ता चाहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। अतः

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251A का स्वीकार किया जाकर ग्राम मलगाणी पटवार हल्का माण्डल

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर आफिस हुक्म में का
	तहसील माण्डल जिला-भीलवाड़ा मे स्थित हाल आराजी नं. 1247/1 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा भूमि मे आने जाने हेतु आराजी न. 1247 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा भूमि मे से 0.04 बिस्वा भूमि यानि 20 फीट चौडाई वाले रास्ते बाबत् भूमि दिये जाने का आदेश दिया जाता है। 20 फीट रास्ते के काम आने वाली भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात कर आने वाली भूमि की D.L.C. की दर से डबल गणना करते हुए प्रार्थीगण से राशि जरिये D.D. या नकद प्राप्त करे। प्राप्त होने वाली राशि रास्ते हेतु आने वाली भूमि का भुगतान राज कोष मे जमा करे। भुगतान होने पर रास्ते मे आने वाली भूमि को खाते मे से कम की जावे। और भूमि को गिलानाम रास्ते हेतु राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम की जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार मांडल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।	
	उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	